न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 216/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बलदेव पुत्र धनराज जाति माली निवासी बाईसर बास, ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1राज. सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 2पटवारी ताउसर

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्र राम अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 04-12-19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 129/2018 सरकार बनाम बलदेव में निर्णय दिनांक 20.08.18 के तहत मौजा ताउसर के खसरा नं. 651 रकबा 0.01 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.09.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 03.12.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 129/18 सरकार बनाम बलदेव की पत्रावली की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट की ओर से उक्त प्रकरण मे आवेदन दिनांक 20.08.18 को पेश किया तथा अपीलांट इसी विश्वास मे था कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निस्तारण किया जायेगा व तत्पश्चात मौका रिपोर्ट लेकर बाद जवाब कोई कार्यवाही की जायेगी इसलिये निर्णय जैर अपील की पूर्व मे जानकारी नही थी। अपीलांट दिनांक 04.09.18 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ तब निर्णय बाबत जानकारी हुई तब उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल 11.09.18 को तैयार होकर प्राप्त हुई तथा नकल मे आठ दिन का समय लगा जिससे समायोजित करने पर अपील अंदर मयाद प्रस्तुत की तथा जानकारी से अंदर मयाद है। फिर भी हुई देरी को कन्डोन की जाना उचित एवं न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा मुस्तकिल मूल मुटाम से नाप करवाने हेतु निवेदन किया था व हाल ही मे निर्मित पक्की सडक जिसका निर्माण खसरा नं. 651 मे करना बताया गया परंतु उक्त सडक का निर्माण सडक को सीधा करते हुए प्रार्थी की खातेदारी मे निर्मित कर दिया जिससे प्रार्थी का रकबा मौके पर खसरा नं. 600 बराबर है तथा सडक का निर्माण 651 मे हुआ तथा अपीलांट द्वारा जो मकान का निर्माण करवाया जा रहा है वह मौके पर नाप करने पर खसरा नं. 600 मे ही आता है इसलिये संपूर्ण सडक व खसरा नं. 651 व 600 का मौके पर नाप होकर वास्तविक रिपोर्ट यदि पत्रावली पर आती है तो अतिक्रमण का कोई प्रकरण बनना नही पाया जाता है तथा निर्माण क्षेत्रफल अनुसार खसरा नं. 600 मे ही आता है। इसलिये अपीलांट की ओर से उक्त आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

अपर कलक्टर, नागौर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को बाद सुनवाई निस्तारण करना आवश्यक था। जो नही किया गया है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निस्तारण किये बिना ही बिना समुचित सुनवायी जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिये ही गलत रूप से बिना साक्ष्य सुनवायी का अवसर दिये आवेदन पत्र को जवाब मानकर गलत रूप से आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नही होने से एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–उक्त प्रकरण मे अपीलार्थी की तामील नही हुई सर्व प्रथम दिनांक 20.08.18 को ही अपीलांट ने उपस्थित होकर आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिये था जो नही कर बिना साक्ष्य सबूत व जवाब लिये गलत रूप से अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित कर दिया जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो एवं न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा ताउसर में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ताउसर के खसरा नंबर 651 रकबा 0.01 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर